

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ20(101/29)आयों/आकाशि/2019-20/ 1000-1001

दिनांक : 19/12/19

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।


विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्यनिधि मद के योजनाओं के अन्तर्गत संचालित
महाविद्यालयों की सूचना प्रपत्र 9 में आनलाईन भरने/संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्यनिधि मद के योजनाओं के बजट मद 2202-03-103-02-00, बजट मद 2203-03-103-03-00, बजट मद 2202-03-789-01-00, बजट मद 2202-03-796-01-00 में महाविद्यालयों के संबंध में प्रपत्र 9 की सूचना आई.एफ.एम.एस. पर आनलाईन भरने/संशोधन की कार्यवाही दिनांक 21.12.2019 तक किया जाना सुनिश्चित करें। जिन महाविद्यालयों द्वारा प्रपत्र ऑनलाईन नहीं भरा जावेगा उनका माह दिसम्बर का वेतन आहरित कर लिया जायेगा। इस हेतु प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।

वर्ष 2019-20 में उक्त मदों में आवंटित बजट का उपभोग दिनांक 26.12.2019 तक किया जाना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात आवंटित राशि को उपभोग नहीं करने पर वित्त विभाग द्वारा फ्रीज कर दिया जायेगा। इस हेतु प्राचार्य स्वयं जिम्मेदार होंगे।

भवदीय,



19.12.19
संयुक्त निदेशक (आयोजना)

क्रमांक: एफ20(101/29)आयों/आकाशि/2019-20/ 1000-1001

दिनांक : 19/12/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने बाबत।


19.12.19
संयुक्त निदेशक (आयोजना)